

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2016 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2016 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजनांतर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" की अभी तक 14 नगर निकायों से दीर्घकालीन कार्य योजना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। आई०टी० मैनेजर इस हेतु संबंधित नगर निकायों से आज ही दूरभाष पर वार्ता करके अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे एवं प्रतिदिन संबंधित नगर निकायों से समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

3. बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा IHS DP/RAY योजना से संबंधित लगभग 38 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपत्ति करके वापस कर दी गयी है, जिसके निराकरण हेतु उप निदेशक, बुडा को उपलब्ध करा दी गयी है। निर्देश दिया गया कि जिन नगर निकायों से यह उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित है, उनके नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को विभाग में बुलाकर आपत्ति का निराकरण कराया जाय एवं एक सप्ताह के अंदर आपत्ति का निराकरण करके उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- उप निदेशक, बुडा)

4. निर्देश दिया गया कि सभी नगर निकायों/डूडा/बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद में जाकर माह में 2 बार कैम्प करके, उन्हें आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों का रोस्टर निर्धारित करके आदेश निर्गत किया जाय।

(अनुपालन :- श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव)

5. विभाग में लंबित CWJC/MJC की सूची प्रशाखावार तैयार करके आज ही संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय। सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर संबंधित CWJC/MJC में प्रतिशपथ पत्र दायर करना/निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- सभी संबंधित प्रशाखा पदा०)

6. वित्त विभाग द्वारा 59 स्वीकृत्यादेशों के संबंध में लगभग 44.00 करोड़ रुपये की राशि के ए०सी० विपत्र के विरुद्ध डी०सी० विपत्र विभाग में लंबित प्रतिवेदित किया गया है। निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित प्रशाखाओं को उनसे संबंधित विपत्र उपलब्ध करा दिया जाय। संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश की प्रति एक सप्ताह के अंदर प्रशाखा-7 को उपलब्ध कराएंगे ताकि लंबित डी०सी० विपत्र का समायोजन हो सके। वरीय प्रभारी पदाधिकारी इसका नियमित तौर पर अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव एवं संबंधित प्रशाखा पदा०)

7. आश्वासन समिति एवं ध्यानाकर्षण समिति के लंबित विधानमंडलीय प्रश्नों को सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों को आज ही उपलब्ध करा दी जाय। इन प्रश्नों में अधिकांशतः मामले पेयजल पाईप लाईन एवं नाली-गली निर्माण से संबंधित है, उनका अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजनांतर्गत संबंधित नगर निकायों को आवंटित राशि का उल्लेख करते हुए प्रश्नोत्तर सामग्री विधानमंडल को भेज दी जाय ताकि प्रश्न लंबित

प्रतिवेदित नहीं रहे एवं अन्य मामलों में भी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी शीघ्र ही प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। वरीय प्रभारी पदाधिकारी इसका नियमित तौर पर अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं संबंधित प्रशाखा पदा०)

8. Community Tiolet का Model estimate बनाने हेतु पूर्व में भी कई बार श्री विकास कुमार, सहायक अभियंता को निदेशित किया गया है, लेकिन अभी यह कार्य नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि 02 दिनों के अंदर Model estimate तैयार करके संचिका में उपस्थापित की जाय। इस कार्य में श्री निखिल रंजन, SPMG कोषांग द्वारा अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य अभियंता, बुडा एवं श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी इसका प्रतिदिन अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- संबंधित पदा०/अभियंता)

9. SBM, HFA, AMRUT एवं मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजना का नगर निकायों में कार्यान्वयन का विभागीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें आवंटित जिला के नगर निकायों में दिनांक 24-28 अक्टूबर, 2016 के बीच स्थल निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु सभी पदाधिकारी/अभियंता उक्त अवधि के बीच अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लेंगे एवं संबंधित नगर निकायों से सम्पर्क करके आवश्यक व्यवस्था रखने एवं कैम्प आयोजित करने हेतु समन्वय करेंगे। यह व्यवस्था प्रत्येक माह में रहेगी। संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों/अभियंताओं को निरीक्षण हेतु Format तैयार करके उपलब्ध करा दी जाय। स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालन :- सभी विभागीय पदा०/अभियंता)

10. निविदा हेतु विभाग में लंबित TS/TA की ऑनलाईन अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाइट पर एक Module विकसित की जाय। मुख्य अभियंता इस हेतु Format तैयार करके आई०टी० मैनेजर को उपलब्ध करा देंगे। आई०टी० मैनेजर द्वारा वेबसाइट पर शीघ्र ही Module विकसित किया जाएगा ताकि सभी नगर निकाय/बुडा ऑनलाईन अद्यतन स्थिति से अवगत हो सके, जिससे आपत्तियों का शीघ्र निष्पादन हो सकेगा।

(अनुपालन :- मुख्य अभियंता/आई०टी० मैनेजर)

11. निर्देश दिया गया कि निविदा हेतु विभाग में लंबित TS/TA की सूची अद्यतन स्थिति के साथ मुख्य अभियंता द्वारा पाक्षिक तौर पर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु संचिका में उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- मुख्य अभियंता, बुडा)

12. HFA, SBM एवं AMRUT योजनांतर्गत नियुक्त किये जाने वाले प्रोफेशनल्स के संबंध में उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का स्पष्ट निर्धारण करके दिशानिर्देश प्रारूप 2 दिनों के अंदर संचिका में उपस्थापित किया जाय। उसमें यह भी अंकित किया जाय कि वे संबंधित योजना के कार्य के अलावा विभाग/नगर निकाय द्वारा दिये जाने वाले अन्य आवश्यक कार्यों का भी निष्पादन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस हेतु पूर्व में भी निदेशित किया जाता रहा है, जो अभी तक नहीं हो पाया है।


(अनुपालन :- संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदा०)

13. हर घर नल-जल योजनांतर्गत प्रत्येक माह नगर निकायों/बिहार राज्य जल पर्वद द्वारा घरों में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल कनेक्शन से संबंधित प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियंता द्वारा तैयार की जाएगी। इस हेतु वे प्रतिदिन नगर निकायों से समन्वय सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालन :- श्री सुरेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियंता)


14. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


18/10/2016
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7548 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 19/10/16

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, SPUR/SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/10/2016
प्रधान सचिव

अनुलग्नक-1**➤ प्रशाखा-01 :-**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ प्रशाखा-02 :-

1. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

2. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ा आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

3. स्ट्रीट लाईट :-

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

4. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

5. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसे आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➤ प्रशाखा-04 :-

1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके, प्रस्ताव गठित किया जाय।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

• NULM से संबंधित कार्य :-

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➤ प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Eased Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।

4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

6. नगरीय प्रशासन :-

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➤ प्रशाखा-6 :-

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➤ प्रशाखा-07 :-

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➤ प्रशाखा-8 :-

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➤ प्रशाखा-9 :-

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार कराना।